

आदेश की कम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 132/13-14
श्रीमती रीता देवी एवं अन्य वनाम् उमेश कुमार यादव एवं अन्य
आदेश

5-57-14


आवेदिका श्रीमती रीता देवी पति काशीनाथ प्रसाद साकिन बैदराबाद थाना व जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदिका के अधिकारों का प्रख्यापन एवं नापी कराकर पीलरींग कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा मुरादपुर हुजरा थाना नं० 80 थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:-


खाता	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी
35	504	15 धूर	उ०-रामचंद्र भठ द०-छह फीट रास्ता पु०- विपक्षीगण प०-मोहन प्रसाद केसरी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा जबाब दाखिल नहीं किया गया और वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर विवादित भूमि का नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण से करायी गयी। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदन किया है कि आवेदिका एवं विपक्षीगण अपने-अपने जमीन के कब्जा में है। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया।

चुंकि विवादित भूमि पर विपक्षी का कोई कब्जा नहीं है,वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापिक एवं संशोधित


प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।


प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।